उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :70/2016/998/छप्पन-2016-39/2014

लखनऊ : दिनांक : 09 सितम्बर, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन परिचालन इकाई उ0प्र0 लखनऊ में पायलट (रोटर विंग) के पद पर कैप्टन अमित कुमार भूटानी को कार्यालय ज्ञाप संख्या-1078/छप्पन-2014-19/2011, दिनांक 02.7.2014 द्वारा रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में कै0 अमित कुमार भूटानी द्वारा 08 सितम्बर, 2014 को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। कै0 भूटानी की संविदा अवधि 07 सितम्बर, 2016 को समाप्त हो रही है। कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) के उड़ान लाइसेन्स पर निदेशालय की फ्लीट में उपलब्ध बेल-412 ई0पी0 तथा बेल-412 ई0पी0आई0 हेलीकॉप्टर पृष्ठांकित है । वर्तमान में कै0 अमित कुमार भूटानी बेल-412 ई0पी0 तथा बेल-412 ई0पी0आई0 हेलीकाप्टर पर करेन्ट है तथा उक्त दोनों हेलीकाप्टर पर पायलट-इन-कमाण्ड तथा को-पायलट के रूप में उड़ान कार्य सम्पादित कर रहें है एवं उन्हें शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 एवं शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा नीतिगत निर्णय के आलोक में दिनांक 26 फरवरी, 2015 से 4.50 लाख प्रतिमाह मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त 05 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि फलस्वरूप वर्तमान में मासिक पारिश्रमिक रू0 4,72,500/- का भुगतान किया जा रहा है ।

2- अत: श्री राज्यपाल कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) की संविदा अवधि वर्तमान नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 4,72,000/- तथा नियमानुसार अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ता एवं शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार देय वार्षिक वेतन वेतनवृद्धि के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रेतर 02 वर्ष अर्थात दिनांक 08 सितम्बर, 2016 से दिनांक 07 सितम्बर, 2018 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) को उक्त संविदा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। पूर्व शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम- 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति अवकाश देय होगा।

---2/-

4- कै0 अमित कुमार भूटानी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

कै0 अमित कुमार भूटानी (संविदा)
पायलट (रोटर विंग)
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0 एयरपोर्ट, लखनऊ।

संख्या : 70/2016/998(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि कै0 अमित कुमार भूटानी, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-4

8- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।